


24/08/18 - सुनवाई क्र. 15-03/13

दिनांक	आज्ञा पत्र	
23/08/18	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तारीख से शेष रिकॉर्ड्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलान्त ने रिकॉर्ड्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त अपने अधिन के प्रति जम्मेदार नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त आदेश 9 नियम 5 की वी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनवाई क्र. 15-03/13 से करके निकालने से कम होकर बाद तारीख तक मील बाधित बनाए जाये।</p> <p>23/08/18 सू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजकाश अपील अधिकारी कर</p>  <p>सत्यमेव जयते</p>	



Web Copy - Not Official